भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3821**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023/20 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

प्रतिबंधित उर्वरकों का विनिर्माण

3821. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक उर्वरक संयंत्र प्रतिबंधित उर्वरकों का विनिर्माण कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान ऐसे उर्वरक संयंत्रों का राज्य-वार और वर्ष-वार कोई निरीक्षण किया गया है जहां सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं;
(घ) सरकार द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन करने वाले संयंत्रों के लाइसेंस रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और
(ड.) सरकार द्वारा उर्वरक संयंत्रों के लाइसेंस रद्द किए जाने के कारण देश में दर्ज की गई उर्वरकों की कमी का ब्यौरा क्या है और ऐसी कमी को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): यूरिया राजसहायता स्कीम तथा एनबीएस स्कीमों के तहत पंजीकृत सभी उर्वरक कंपनियां केवल उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) विनिर्देशनों के अनुसार ही यूरिया तथा पीएण्डके उर्वरकों जैसे डीएपी, एमओपी, एसएसपी तथा अनुमोदित एनपीके ग्रेडों का उत्पादन करते हैं। उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। उर्वरकों के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए विपथन को रोकने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी/तस्करी में संलिप्त किसी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के अंतर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

उर्वरक विभाग राज्य सरकारों के साथ उर्वरक और संबंधित इकाइयों का नियमित संयुक्त निरीक्षण करता है। विगत 2 वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों तथा रद्द किए गए लाइसेंसों कर राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** पर संलग्न है।

(ड.): चालू खरीफ मौसम सहित विगत 2 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सहज रही है तथा उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

******

अनुलग्नक-1

तालिका 1: राज्य-वार निरीक्षित मिश्रित उर्वरक इकाइयां तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित/की गई कार्रवाई

क्र.सं	राज्य का नाम	निरीक्षत इकाइयों की संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रद्द किए गए लाइसेंस
1	आंध्र प्रदेश	10	1
2	बिहार	11	3
3	गुजरात	61	0
4	कर्नाटक	43	2
5	केरल	60	24
6	महाराष्ट्र	58	0
7	तमिलनाडु	111	2
8	तेलंगाना	3	0
9	उत्तराखंड	2	0
10	उत्तर प्रदेश	4	0
	कुल	**363**	**32**

तालिका 2: यूरिया का प्रयोग कर रही राज्य-वार निरीक्षित इकाइयां तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य का नाम	यूरिया का प्रयोग कर रही निरीक्षित इकाइयों की संख्या	राज्य द्वारा एफआईआर
1	गुजरात	43	25
2	हरियाणा	21	13
3	कर्नाटक	5	1
4	केरल	16	2
5	राजस्थान	16	1
6	तेलंगाना	2	0
7	उत्तर प्रदेश	4	0
8	पंजाब	2	0
9	बिहार	3	3
10	दिल्ली	2	0
	कुल	**114**	**45**

****